SITAPUR POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

थाना अटरिया पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण,

"चोरी के इंजन ट्यूबेल के पंखे (कुल 02 अदद) बरामद"

दिनांक 13.11.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल महोदय द्वारा जनपद सीतापुर में चोरी/नकबजनी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को घटनाओं को रोकने व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त दिये गये निर्देशो के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 13.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण एवम् क्षेत्राधिकारी सिधौली श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना अटरिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर चोरी की घटनाओं के संबंध में पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 311/2026 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस अनावरण करते हुए 02 अदद चोरी के इंजन ट्यूबेल के पंखे (कुल 02 अदद) के साथ 01 अभियुक्त - 1. रिंकू पुत्र स्व. कल्लू, निवासी- ग्राम रसूलपनाह मजरा मनवा, थाना अटरिया, जनपद सीतापुर को अतरौली जाने वाले मार्ग के किनारे से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. रिंकू पुत्र स्व. कल्लू, निवासी- ग्राम रसूलपनाह मजरा मनवा, थाना अटरिया, जनपद सीतापुर

बरामदगी:-

चोरी के इंजन ट्यूबेल के पंखे (कुल 02 अदद), 200 रुपये नगद

अभियुक्त रिंकू पुत्र स्व. कल्लू का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 25/2024 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम थाना अटरिया,सीतापुर
2. मु0अ0सं0-143/2024 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना अटरिया, सीतापुर
3. मु0अ0सं0-312/2020 धारा 2, 3(1) उ० प्र० गैगेस्टर अधिनियम थाना सिधौली, सीतापुर
4. मु0अ0सं0-158/2019 धारा 396, 412 भादवि थाना सिधौली, सीतापुर
5. मु0अ0सं0-311/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अटरिया, सीतापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 राधेश्याम यादव
2.आरक्षी अभिनव पाल
3.आरक्षी शिवम कुमार

